मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल, 1998 (वैशाख 10, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों की जांच समिति, मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन क्र. एम.सी.- एक (अन्तरिम), भोपाल नगर निगम (अन्तरिम प्रतिवेदन) दिनांक 11 फरवरी, 1997 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का चालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री मुकेश नायक, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619- क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93; तथा

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन शर्मा, रामलखन सिंह (त्योंधर), सदस्य, जबलपुर जिले के कुटेश्वर लाइम स्टोन माइन्स में ब्लास्टिंग से मकानों को हो रही क्षति की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, रतलाम नगर निगम द्वारा गुणावद जल परियोजना कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री बाबूलाल गौर, सभापति, लोक लेखा समिति का 176 वां से 186 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अंबिका प्रसाद शुक्ला, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ पैंतीसवां से एक सौ तिरसठ वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री रामकुमार पटेल, कार्यवाहक सभापति, प्राक्कलन समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-2-

(5) श्री मदन गोपाल सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का नवम् (डेयरी विकास विभाग से संबंधित विशेष जांच प्रतिवेदन), दशम् तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 8 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मैहर शारदा देवी मेला विधेयक, 1998 (क्रमांक 11 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 12 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (4) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जानकारी प्राप्त करने का अधिकार विधेयक, 1998 (क्रमांक 16 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 29 अप्रैल, 1998